कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

✧ निलामी सूचना ✧

संख्या 01 / 2016–17

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ में वर्तमान में उपलब्ध कुल–.49 (उनचास) बकरा–बकरी एवं मेमना जिसका विवरण नीचे अंकित है, को खुली बोली के द्वारा दिनांक 14.11.2016 को दोपहर 12:00 बजे से निलामी की जाएगी।

निलामी हेतु बकरा / बकरी का विवरण

नश्ल	बकरा	बकरी	मेमना	
			नर	मादा
ब्लैक बंगाल	04	24	11	07
जखराना	——	03	——	——

निलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी :–

1. निलामी योग्य बकरा / बकरियों के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु या बकरा–बकरियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने हेतु ईच्छुक क्रेता कार्यालय अवधि में प्रबंधक, बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ के परिसर में जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

2. बोली में शामिल होने के लिए ईच्छुक खरीददार को आईडेंटिटी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ मो0– मो0 – 1000/– रूपये नगद या बैंक ड्राफ्ट जो **REGIONAL DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY PURNEA** के पदनाम से देय हो दिनांक 14.11.2016 को सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक निलामी समिति के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा, जो असफल डाककर्त्ता को उसी दिन वापस कर दिया जाएगा।

3. प्रक्षेत्र में उपलब्ध बकरा–बकरियों की निलामी Live Body Weight के आधार पर की जाएगी। इस हेतु बोली के पूर्व उपलब्ध सभी बकरा–बकरी का सकल (Gross) Live Body Weight निर्धारित किया जाएगा एवं ततपश्चात् डाक कर्त्ता को प्रति Kg की दर से बोली के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

4. न्यूनतम बोली 50/- रूपये प्रति Kg से शुरू होगी एवं डाककर्त्ता को कम से कम तीन बोली लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित डाककर्त्ता का बैंक ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा। दो बोली के बीच का अन्तर कम से कम 02 रूपये होगा।

5. उच्चतम बोली लगाने वाले डाक कर्त्ता को क्रेता के रूप में चयन किया जाएगा एवं उनके द्वारा प्रति Kg लगायी गई बोली को Gross Weight से गुणा कर प्राप्त मूल्य को अंतिम विक्रय मूल्य माना जाएगा।

6. चयनित क्रेता को अंतिम रूप से निर्धारित विक्रय मूल्य का 20% राशि तत्काल ही सुरक्षित जमा राशि के रूप में समिति के समक्ष नकद जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निकटतम प्रतिद्धन्दी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

7. शेष राशि 03 दिनों के अंदर जमा कर बकरा–बकरी का उठाव (चयनित केता द्वारा स्वयं के खर्चे पर) सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा सुरक्षित जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

8. निलामी समिति को यह विचार होने पर कि बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा एक गिरोह बना लिया गया है, एवं सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में निलामी स्थगित कर दी जाएगी।

9. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला पूर्णियाँ जिलान्तर्गत ही मान्य होगा।

10. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताए इस निलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ।

ज्ञापांक–....821...... / प0पा0 / **दिनांक**– 26.10.16

प्रतिलिपि –सर्व सर्वसाधारण को सूचना पट्ट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि –प्रबंधक, बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश है कि निलामी सूचना की प्रति अपने स्तर से पूर्णियॉ मुख्यालय स्थित पशुपालन विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों के अतिरिक्त समाहारणालय, पूर्णियॉ , अनुमण्डल कार्यालय, सदर पूर्णियॉ एवं जिला गव्य विकाश कार्यालय, पूर्णियॉ के भी सूचना पट्ट पर चिपकाते हुए तत्संबंधी फोटोग्राफी के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि –जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश है कि जिलान्तर्गत अवस्थित सभी पशु चिकित्सालयों के सूचना–पट्ट पर चिपकाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को इस सूचना की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि –आई0टी0 मैनेजर, पशुपालन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस सूचना को विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि –निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.10.16

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन
पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ।